प्रपत्र–36 2.30

मानक शर्ते मान्य होने का प्रमाण–पत्र

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह भी पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापित् नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि माँगी गई भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तान्तरीय विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा, जिसके यापक विभाग सहमत हैं।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख–रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरण वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरीय विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाये। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं अन्य जन्तुओं के स्वछन्द विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियो पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन भूमियों का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये, वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर संरेखण तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श सा0नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, सा0नि0वि0 के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्व0 क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी0 दिनाँक 10–2–82 में निहित आदेशों का पालन भी सा0नि0वि0 द्वारा किया जायेगा कि अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों को फेर बदल कर पक्का करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होना और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धित प्रमाण–पत्र के आधार पर आंकलित होना जो याचक विभाग को मान्य होगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग उत्तराखण्ड वन निगम अथवा और कोई उपर्युक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तान्तरण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उसका पातन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव पर मूल्य देय होगा।
14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परियोजना व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाये का भुगतान याचक विभाग, वन विभाग को करेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खण्ड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बाँज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।
15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन ले जाने में यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा या खम्भों को ऊँचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर संरक्षण का अनुमोदन आवश्यक है।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू–संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टियों को पक्का करना अगर आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक विभाग स्वयं अपने व्यय से करायेगा।
17. उपरीलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्टि प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती हैं तो याचक विभाग को मान्य होगी।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाये, जब उच्च शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाये अथवा उनका समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाये।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें याचक विभाग को मान्य है।

कनिष्ठ अभियन्ता सिंचाई खण्ड,, पी0एम0जी0एस0वाई0, कोटद्वार, पौड़ी गढवाल	सहायक अभियन्ता सिंचाई खण्ड,, पी0एम0जी0एस0वाई0, कोटद्वार, पौड़ी गढवाल	अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड,, पी0एम0जी0एस0वाई0, कोटद्वार, पौड़ी गढवाल

2,31

प्रपत्र 34

परियोजना का नाम	:–	जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कि0मी0 57 के टी02 (ओ0डी0आर0) से मंजोखी मोटर मार्ग (7.600 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

भू–वैज्ञानिक की संस्तुतियों / सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि विशयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू–वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों / संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता
सिंचाई खण्ड,,
पी0एम0जी0एस0वाई0, कोटद्वार,
पौड़ी गढवाल

सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड,,
पी0एम0जी0एस0वाई0, कोटद्वार,
पौड़ी गढवाल

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड,,
पी0एम0जी0एस0वाई0, कोटद्वार,
पौड़ी गढवाल

प्रपत्र–37 2.32

परियोजना का नाम	:–	**जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कि0मी0 57 के टी02 (ओ0डी0आर0) से मंजोखी मोटर मार्ग (7.600 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

धार्मिक / पौराणिक / ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रायोजन हेतु किसी को आवंटित नहीं की गई है।

कनिष्ट अभियन्ता
सिंचाई खण्ड,,
पी0एम0जी0एस0वाई0, कोटद्वार,
पौड़ी गढवाल

सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड,,
पी0एम0जी0एस0वाई0, कोटद्वार,
पौड़ी गढवाल

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड,,
पी0एम0जी0एस0वाई0, कोटद्वार,
पौड़ी गढवाल

पुष्कर सिंह
(राजस्व उपनिरीक्षक)
(राजस्व उपनिरीक्षक)
तहसील....लैन्सडौन....
जिला– पौड़ी गढ़वाल

एस० डी० एम०
लैन्सडौन (गढ़वाल)

(तहसीलदार)
तहसीलदार
लैन्सडौन

(जिलाधिकारी)
गढ़वाल(पौड़ी)

2·34 2·33

प्रपत्र–38

परियोजना का नाम	:–	जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कि0मी0 57 के टी02 (ओ0डी0आर0) से मंजोखी मोटर मार्ग (7.600 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/ रख–रखाव के दौरान वन्य जीवों/ स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।

कनिष्ट अभियन्ता
सिंचाई खण्ड,,
पी0एम0जी0एस0वाई0, कोटद्वार,
पौड़ी गढवाल

सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड,,
पी0एम0जी0एस0वाई0, कोटद्वार,
पौड़ी गढवाल

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड,,
पी0एम0जी0एस0वाई0, कोटद्वार,
पौड़ी गढवाल

2.34

प्रपत्र–39

परियोजना का नाम	:–	जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कि0मी0 57 के टी02 (ओ0डी0आर0) से मंजोखी मोटर मार्ग (7.600 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी तेल/रसौई गैस उपलब्ध कराये जाने प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/रसौई गैस उपलब्ध करायी जायेगी।

कनिष्ट अभियन्ता
सिंचाई खण्ड,,
पी0एम0जी0एस0वाई0, कोटद्वार,
पौडी गढवाल

सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड,,
पी0एम0जी0एस0वाई0, कोटद्वार,
पौड़ी गढवाल

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड,,
पी0एम0जी0एस0वाई0, कोटद्वार,
पौड़ी गढवाल

2.36 ५५५-40 2.35

परियोजना का नाम	:–	जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कि0मी0 57 के टी02 (ओ0डी0आर0) से मंजोखी मोटर मार्ग (7.600 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण से निम्न ग्रामों/परिवारों/जनसंख्याओं को लाभ प्राप्त होगा।

क0 स0	गांव का नाम	कोड सख्या	ज्नसख्या	
			कूल जनसख्या	अनूसूचित जाति/जनजाति
1	मंजोखी	712100	266	नहीं
		TOTAL	**266**	नहीं

कनिष्ठ अभियन्ता
सिंचाई खण्ड,,
पी0एम0जी0एस0वाई0, कोटद्वार,
पौड़ी गढवाल

सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड,,
पी0एम0जी0एस0वाई0, कोटद्वार,
पौड़ी गढवाल

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड,,
पी0एम0जी0एस0वाई0, कोटद्वार,
पौड़ी गढवाल

2.36 106

प्रपत्र–50

परियोजना का नाम	:–	जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित कि0मी0 57 के टी02 (ओ0डी0आर0) से मंजोखी मोटर मार्ग (7.600 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश आदेश संख्या 5–3/2007– एफ0सी0 दिनॉक 05–02–2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता नियता निम्नानुसार है:–

1. ईको– क्लास श्रेणी V
2. हरियाली का घनत्व 40 प्रतिशत से ऊपर
3. एन0पी0वी0 की दर प्रति है0 रूपये – 3.39 लाख रुपये 9.39 Lakh/ha.
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल – 5.659 है0
5. कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि – 5313801.00 लाख रुपये मात्र

वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्राधिकारी
थलीसैंण रेन्ज

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
गढ़वाल (पौड़ी)

2.37

प्रपत्र–51

परियोजना का नाम	:–	जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित कि0मी0 57 के टी02 (ओ0डी0आर0) से मंजोखी मोटर मार्ग (7.600 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

एन0पी0वी0 जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना में एन0पी0वी0 की देय धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोत्तरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग की माँग के अनुसार किया जायेगा।

कनिष्ट अभियन्ता
सिंचाई खण्ड,,
पी0एम0जी0एस0वाई0, कोटद्वार,
पौड़ी गढवाल

सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड,,
पी0एम0जी0एस0वाई0, कोटद्वार,
पौड़ी गढवाल

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड,,
पी0एम0जी0एस0वाई0, कोटद्वार,
पौड़ी गढवाल

2,38

प्रपत्र–53

परियोजना का नाम	:–	जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित कि0मी0 57 के टी02 (ओ0डी0आर0) से मंजोखी मोटर मार्ग (7.600 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन भूमि लीज पर दिये जाने/लीज नवीनीकरण के प्रकरणों में लागू)
लीज अवधि का प्रमाण–पत्र

(लागू नहीं है)

कनिष्ठ अभियन्ता
सिंचाई खण्ड,,
पी0एम0जी0एस0वाई0, कोटद्वार,
पौड़ी गढवाल

सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड,,
पी0एम0जी0एस0वाई0, कोटद्वार,
पौड़ी गढवाल

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड,,
पी0एम0जी0एस0वाई0, कोटद्वार,
पौड़ी गढवाल

वन क्षेत्राधिकारी

उप प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण प्रभाग
लैंसडौन (गढ़वाल)

प्रभागीय वनाधिकारी

वन क्षेत्राधिकारी

2,41

प्रपत्र–52

परियोजना का नाम	:–	जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कि0मी0 57 के टी02 (ओ0डी0आर0) से मंजोखी मोटर मार्ग (7.600 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रस्तावित परियोजना के लिये प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि का आर0सी0सी0 पिलरों द्वारा सीमांकन का प्राक्कलन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।

क्र.	कार्य का नाम	इकाई/संख्या	नपत मीटर में			मात्रा	इकाई	दर (रू0 में)	धनराशि (रू0 में)
			ल0	चौ0	ऊचाई				
1	आर0सी0सी0 पिलर निर्माण हेतु बुनियाद खौदना	6.00	0.900	0.900	0.100	0.486	Cum.	221.50	107.65
2	आर0सी0सी0 पिलर के बेस पर चुना व कोयला डालना	6.00	0.900	0.900	0.030	0.146	Cum.	352.30	51.37
3	1:2:4 सीमेन्ट मसाले में आर0सी0सी0 पिलर निर्माण	6.00	0.900	0.900	0.900	4.374	Cum.	7032.60	30760.59
4	आर0सी0सी0 कार्य हेतु सरिया क्रय करना	Reinforcement of R.C.C. Pillars (1.50%)				5.150	Qtl.	5596.97	28826.55
	पिलर में 1:4 मसाले प्लास्टर कार्य	6x4	0.900		0.800	17.280	Sqm.	159.80	2761.34
		6x1	0.900	0.900		4.860	Sqm.	159.80	776.63
7	पिलर पर पिलर संख्या आदि लिखना	6.00	5.00 Cm.			30.00	Cm.	0.50	15.00
8	पानी की ढुलाई आदि	6.00					Qtl.	57.25	343.50
	कुल योग								63642.63

वन क्षेत्राधिकारी
पैठाणी रेन्ज

उप प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि ... वन प्रभाग